मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/2/2018/नियम/चार भोपाल दिनांक 11 जून, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 1-1-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त-पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/ परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

→←

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है । पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(1) पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, विद्यमान मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व)/परिवार पेंशन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रूपये में पूर्णांकित कर किया जायेगा । उक्त गणना हेतु विद्यमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन में मंहगाई राहत शामिल नहीं होगी । यह पुनरीक्षण दिनांक 1-4-2018 से प्रभावी किया जाए ।

(2) पुनरीक्षित पेंशन में सारांशीकरण की राशि, यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण के समय इस राशि से सारांशीकरण की राशि को कम किया जायेगा ।

(3) पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि ₹ 7750/- प्रतिमाह होगी ।

(4) वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन के पश्चात् राज्य शासन से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जायेगा ।

Sunita//

11/6/18

PTO

(6) ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्व शासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुये एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली गई है तथा उसके पेंशन के1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा ।

2/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन / परिवार पेंशन आहरित कर रहे राज्य शासन के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन / परिवार पेंशन भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान योग्य राशि की प्रविष्टियाँ पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में की जावेंगी । कोषालयों/ उपकोषालयों से पेंशन/ परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन / परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित पेंशन संवितरक अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

3/ पेंशन संवितरण अधिकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भुगतान शाखा, परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय सूक्ष्मता से जाँच करें कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तिथि के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से करें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें।

4/ पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान माह अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018) से किया जाए । पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जावे । पेंशन/परिवार पेंशन पर देय मंहगाई राहत के आदेश पृथक से जारी किए गए हैं।

5/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत प्रकरणों का test audit संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी द्वारा किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/6/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita//

11/6/18

PTO

पृ.क्रमांक:एफ 9/2/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11 जून, 2018

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/2) मध्यप्रदेश ग्वालियर (200 प्रतियां)।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन,26 किसान भवन मण्डी बोर्ड परिसर,जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्टस डिपार्टमेण्टस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051,
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012,
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर - 452001,
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जोन, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011,
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011,
27. उप मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001,
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, जवाहर भवन, रोशनपुरा नाका, भोपाल-462003
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011,
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001,
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स्, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011,

Sunita//

PTO

32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, सेन्ट्रल जोन-2, यूनियन बैंक , भवन, जेल रोड, हिल्स भोपाल-462003,
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016,
34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविंदपुरा,भोपाल -462024

की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गई पुनरीक्षित पेंशन राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके ।

35. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर
36. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद
37. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
38. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
39. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
40. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम, 695 039
41. वित्त सचिव, तमिलनाड शासन, मंत्रालय, चैनई, 600 018
42. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
43. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
44. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
45. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
46. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़, 160 017
47. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
48. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
49. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लख़नऊ, 226 001
50. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता,700 001
51. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
52. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
53. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
54. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
55. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
56. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
57. वित्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
58. वित्त सचिव,, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गेंगटोक , 717 101
59. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन,
60. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लाक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001
61. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001
62. महालेखाकार -1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463
63. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिझोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001
65. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपुर, इम्फाल 795 001
66. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001
67. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002

Sunita//

PTO

68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695 039
69. महालेखाकार -1, (लेखा एवं हक) तमिलनाड, चैन्नई, 600 018
70. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) तमिलनाड, चैन्नई , 600 018
71. महालेखाकार -1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड ,मुंबई , 400 020
72. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440 001
73. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002
74. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017
76. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंड़ीगढ़, 160 047
77. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कँसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
78. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001
79. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लख़नऊ, 226 001
80. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001
81. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मीर, श्रीनगर, 190 001
83. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001
84. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001
85. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717 101
86. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तरांचल, देहरादुन
87. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विव, पो. पणजी 403 101
88. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011
89. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006
90. सहायक मिलीट्रि एटेची (पेंशन) भारतीस दूतावास, काठमाण्डू नेपाल -1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
91. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001
92. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001
93. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ, रायपुर 492 001
94. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ, रायपुर, 492 001

(अजय चौबे)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/7

PTO